राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:- प.6(18)राज-6/99/ 5 जयपुर, दिनांक:- 11/4/2000

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 260 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिनियम की धारा 90-ख जैसे कि राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्या 21) के द्वारा अन्तःस्थापित की गई है, के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सामने अंकित क्षेत्राधिकार के भीतर अधिकारों का पर्यवसान (Extination) एवं भूमि का पुनर्ग्रहण (Resumption) करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करती है।

अधिकारी	क्षेत्राधिकार
1. सहायक कलेक्टर, के.पाटन	नगरपालिका के.पाटन एवं कापरेन
2. सहायक कलेक्टर(मुख्या०) बून्दी	नगरपालिका लाखेरी एवं इन्द्रगढ़।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(शिव कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक व कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, राजस्व मंत्री / राजस्व सचिव।
2. जिला कलेक्टर, बून्दी।
3. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
4. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र विशेषांक दिनांक 11/4/2000 में प्रकाशनार्थ।
5. "राविरा" राजस्व मण्डल, अजमेर।
6. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
7. उप निबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. शासन उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

सलीम/10मे।